न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द कुमार चौधरी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 31 / 2021

दिनांक 06.12.2021

प्रार्थीगण–

1. दुलीचन्द
2. दिनेश कुमार
3. सोनू पुत्रगण जयराम जतियान– कुम्हार निवासीगण डेह तहसील जायल

बनाम

अप्रार्थी –

1. तहसीलदार जायल जिला–नागौर

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण क्रम संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 601 खसरा नं. 1707/1985 रकबा 0.4047 हैक्टेयर व ख.न. 1704 रकबा 2.3391 हैक्टेयर भू नक्शा ट्रेस प्रति जो ग्राम डेह तहसील जायल में स्थित है, के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि उक्त खसरा नं. 1707/1985 का रकबा की तरमीम ख.न. 1704 के दक्षिणी दिशा में होनी थी मगर ऑन लाईन अपडेशन में गलती से पूरबी दिशा में तरमीम दर्ज कर दी गई। जबकि भू नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1704 के चिपते ही दक्षिणी तरफ 1707/1985 की मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार रहती चली आई है तथा शांतिपूर्ण कब्जा कास्त के रूप में है। परन्तु राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा/ट्रेस में तरमीम पैरा संख्या 3 के अनुसार कर दी गई जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश फरमाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/2423 दिनांक 08.07.2021 के रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार हल्का पटवारी डेह के द्वारा ख.न. 1704 व 1707/1985 की जांच मौके पर जाकर की गयी। मौके पर ख.न. 1704 व 1707/1985 के मध्य कोई माठ (सींव) नहीं है। ग्राम डेह की जमाबन्दी संवत् 2076 के अनुसार दोनों खसरों के खातेदार एक की है। जिसके खाता संख्या 601 है। उक्त खसरों के सम्बन्ध में

उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकर्ड में दिनांक 05.4.1995 को पु.स. 1 जि.स.92 पृ.स. 43 क्र.स. 221/95 पंजीयन बेचान द्वारा तात्कालिन पटवारी डेह द्वारा नामा0 संख्या 1931 दर्ज किया गया । नामा0 संख्या 1931 की परत के पीछे बने नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 1705/1985 को खसरा नम्बर 1704 के दक्षिण में दर्शाया गया है। जिसके अनुसार ही खातेदार मौके पर काबिज है जबकि नक्शा लटठा व भू नक्शा में तरमीम अन्य स्थान पर की गई है। अतः नामा0 संख्या 1931 तथा कब्जा अनुसार तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण को पैरा संख्या 3 अनुसार स्वीकार किया जाना उचित बताया।

वकील प्रार्थी के प्रकरण आवश्यक प्रकृति को होना व आम कैम्प में सुनवाई करने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हमने प्रशासन गांवो के संग कैम्प कोर्ट जालनियासार में प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थना पत्र को पैरा संख्या 3 के अनुसार स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम बाबत् तहसीलदार जायल को आदेश फरमाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 601 खतौनी खसरा नं. 1704 व 1707/1985 की प्रमाणित नकल खतौनी ग्राम डेह एवं नक्शा ट्रेस, तहसीलदार जायल अप्रार्थी के जवाब जरिये पत्रांक : भू.अ./2021/2423 दिनांक 08.07.2021 द्वारा प्रस्तूत रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मौजा डेह के नामा0 संख्या 1931 की नामा0 पुश्त सहित प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा रेकर्ड संधारण में त्रृटि होना प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि ग्राम डेह के खसरा नं. 1707/1985 की नक्शा ट्रेस में स्थिति (सीमा चिन्ह) परिवर्तन कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के अनुसार एंव हल्का पटवारी डेह व ई0 भू अभिलेख निरीक्षक वृत डेह की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 में दर्शित नजरी नक्शानुसार घोषित एवं तरमीम किया जावे। हल्का पटवारी डेह व ई0 भू अभिलेख निरीक्षक वृत डेह की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 में दर्शित नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश दिनांक 06.12.2021 को प्रशासन गावों के संग कैम्प कोर्ट जालनियासर में सुनाया गया।

06/12/2021

उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
सहायक कलक्टर (एसडीएम)
जायल

उप खण्ड अधिकारी जायल (नागौर)